

जगदीश  
 केस संख्या 5/25 (2025/64-01)

रीताराम व अन्य  
 दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट  
 आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

विशेष विवरण

17.01.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 ए.डी./साधारण नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/01/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 बरसी

28/1/25

पत्रावली पेश हुई, वकील नारी उपस्थित पेश हुआ नोटिस वीतवली जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.1.25 को पेश हो

5/1/25

पत्रावली शीघ्र सुनवाई कर पत्रावली पेश पेश होकर पर नकल पर ली गयी। वादीगण स्वयं उपस्थित जिनकी पहिचान वकील की गिरिजा प्रजापत ने की है, वकील नारी ने पत्रावली पेश करवा विज्ञापित किया जिस पर नारीगण को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपखण्ड न्यायालय का आदेश लोकांत एवं वकील पक्षों को पत्रावली पत्र वाद विज्ञापित पर सुनने के पश्चात सावहित से पत्रावली पत्र वाद विज्ञापित किया जाकर वाद को विज्ञापित करी अनुमति दी जाती है। पत्रावली पत्र वाद विज्ञापित नारी वीमा हो जाने से दावा नारी वीमा किया जाता है। पत्रावली नकल से पत्रावली पत्र नकली वीमा होकर पत्रावली हो।

जगदीश  
 न्यायालय  
 File by  
 1/5/2025